न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ज्ञानाराम .... बनाम .... बनवारी लाल मु.नं. 122/81 (दावा)	

31/12/24 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23-1-25 को पेश हो।

23-1-25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी/बहस दिनांक 18/2/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

18-2-25 पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य हेतु हाईकोर्ट पधारे जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11-3-25 को पेश हो।

11/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश 27/5/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

27/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी का वाद पत्र अन्तर्गत 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या
122/2021

तारीख रजू
20.11.2019

तारीख निर्णय
27.05.2025

बउनवान

1. जगराम मीना पुत्र स्व. मांगूराम मीना, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील मण्डावर दौसा।

बनाम ..वादी

1. बनवारीलाल मीना पुत्र खैरातीलाल मीना, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. श्रीमनलाल मीना पुत्र खैरातीलाल मीना, निवासी बडाबास बालाहेडा, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. राजूलाल मीना पुत्र श्रीमनलाल मीना, निवासी बडाबास बालाहेडा, तह. मण्डावर, दौसा।
4. महेश चन्द मीना पुत्र श्रीमनलाल मीना, निवासी बडाबास बालाहेडा, तह. मण्डावर, दौसा।
5. रामनिवास मीना पुत्र बनवारीलाल मीना, निवासी बडाबास बालाहेडा, तह. मण्डावर, दौसा।
6. पप्पूलाल मीना पुत्र बनवारीलाल मीना, निवासी बडाबास बालाहेडा, तह. मण्डावर, दौसा।
7. भगवानी पत्नी बनवारीलाल मीना, निवासी बडाबास बालाहेडा, तह. मण्डावर, दौसा।
8. बादामी मीना पत्नी श्रीमनलाल मीना, निवासी बडाबास बालाहेडा, तह. मण्डावर, दौसा।
9. सरोज मीना पत्नी राजूलाल, निवासी बडाबास बालाहेडा, तह. मण्डावर, दौसा।
10. केशन्ती उर्फ धौडी पत्नी महेश चन्द मीना, निवासी बडाबास बालाहेडा, तह. मण्डावर दौसा।
11. प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बैजूपाडा।
12. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मण्डावर।

उपस्थित ..प्रतिवादीगण

1. अभिभाषक वादी – श्री गिर्राजप्रसाद सैन, श्री अरुण कुमार शर्मा, श्री चन्द्र शेखर बंशीवाल।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

दावा बाबत स्थायी व्यादेश अन्तर्गत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी खतौनी सं. नई 87 पुरानी 83 का खसरा सं. 304 रकबा 0.03 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता स्थित है। विवादित आराजी खसरा सं. 304 वादी की भूमि खसरा सं. 416 रकबा 0.16 हैक्टे., 417 रकबा 0.43, 419 रकबा 0.02 हैक्टे., 420 रकबा 0.02 हैक्टे., 421 रकबा 0.47 हैक्टे., 422 रकबा 0.02 हैक्टे., 423 रकबा 0.37 हैक्टे. में आने जाने का अर्से दराज बजमाने बुजुर्गान से स्थापित रहा है जिसकी खातेदारी वादी के मृतक पिता मांगूराम पुत्र बीरबल की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

का है। वादी का पिता मांगूराम दिनांक 14.04.2007 को फौत हो चुका है जिसका एक मात्र वारिस वादी है। सजरा खानदान निम्न प्रकार पेश है–

मांगू (फौत)

↓

ग्यारसी (पत्नी) (फौत)

↓

जगराम (वादी)

खसरा सं. 304 रकबा 0.03 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता से प्रतिवादी सं. 01 लगायत 10 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा और न है। वादी अकेला व्यक्ति है व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 10 जबरन वादी के असहाय व कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हुए वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा सं. 304 गै.मु. रास्ता पर लाठी के बल पर वादी को बेदखल कर स्वयं का नाजायज कब्जा करने पर उतारू है और पुख्ता निर्माण करने के लिए मौके पर पत्थर, ईंट व बजरी डाल रखी है और शीघ्र ही पुख्ता मकान व बाउण्ड्री करने की तैयारी में हैं। दिनांक 10.11.2019 को प्रतिवादीगण हाथों में लाठी, डण्डे, बरछी, फावड़ी, गैती लेकर ट्रेक्टर में पत्थर भरकर जबरन भूमि मुतदाविया पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने व पुख्ता निर्माण करने की नीयत से आए व नींव खोदने लगे। वादी ने जाकर मना किया तो आमादा फिसाद हो गये। बड़ी मुश्किल से गांव के अन्य लोगों ने आकर प्रतिवादीगण को रोका जबकि प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार उक्त भूमि मुतदाविया से आज तक नहीं रहा है लेकिन प्रतिवादीगण नाजायज तरीके से अपना अनधिकृत कब्जा करने पर उत्तारू हैं। अगर प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादी को नुकसान अजीम नाका बिले तायून व तखूमीना होगा जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं होगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात चल पड़ेगे जो बाय ते बर्बादी वादी होंगे। ऐसी सूरत से सिवाय दावे हाजा के और कोई चारा नजर नहीं आया। इस कारण दावा हाजा पेश करना लाजिमी आया। विनाय दावा व विनाय मुखात्मत दिनांक 10.11.2019 को प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 10 द्वारा जबरन वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि ख.स. 304 रास्ता पर अनाधिकृत कब्जा कर पुख्ता निर्माण करने के लिए नींव खौदने आने से व आयन्दा पुख्ता निर्माण करने की धमकी देने से अन्दर हदूद न्यायालय हाजा पैदा हुई है दावा अन्दर मियाद पेश है। सकूनत फरीकेन व स्थित भूमि मुतदाविया अन्दर हदूद न्यायालय हाजा होने के कारण अख्तियार समाअत मुकदमा हाजा न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद तहकीकात दावा वादी वरखिलाफ प्रतिवादीगग निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुए डिक्री फरमाया जावे। डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा वहक वादी, बर खिलाफ प्रतिवादी सं. 1 लगायत 10 इस अमर की जारी की जावे कि भूमि विवादित आराजी खसरा सं. 304 रकबा 0.03 हैक्टे. गे. मु. रास्ता स्थित ग्राम बड़ावास बालाहेड़ा पर किसी भी प्रकार का वाम या पुख्ता निर्माण करने से भूमि मुतदाविया की मौके की स्थिति को तब्दील करने से एवं वादी को बेदखल कर स्वयं का नाजायज जबरिया कब्जा करने की काशिश करने से स्वयं या अपने ऐजेन्टों नौकरों, घरवालों व अन्य मददगारान के दवामी तौर पर प्रतिबंधित रहे। विवादित भूमि में किसी भी प्रकार का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

पुख्ता मकान व पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर वादी के आवागमन को बन्द न करें एवं विवादित भूमि की मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

2. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नोटिस की सम्यक तामील के बावजूद इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिस पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर उनके जवाब दावा का अवसर बंद किया गया।

3. वादी साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ तथा इनके द्वारा शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसमे वाद पत्र के तथ्यों को लिखा गया तथा दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रदर्श पी–1 नकल जमाबंदी संवत 2074–77, प्रदर्श पी–2 नजरी नक्शा को प्रदर्शित करवाया।

4. दावा में बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराया और उसके अनुसार वादपत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी, पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया। वादपत्र के जरिये चाहे गए अनुतोष बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 में प्रावधान है –

188. दोषपूर्ण बेदखली के विरुद्ध व्यादेश– *(1) कोई अभिधारी, जिसकी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किये जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए बाद ला सकेगा।*

(2) न्यायालय, आवश्यक जांच करने के पश्चात् निम्नलिखित मामलों में शाश्वत व्यादेश दे सकेगा, अर्थातः–

(क) यदि अतिक्रमण द्वारा कारित या संभाव्य वास्तविक नुकसान को अभिनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हों;

(ख) यदि अतिक्रमण ऐसा हो कि धनीय मुआवजे से पर्याप्त अनुतोष न मिल सके;

(ग) जब यह अधिसंभाव्य हो कि अतिक्रमण के लिए धनीय मुआवजा प्राप्त नहीं किया जा सकता;

(घ) जहां कार्यवाहियों की बहुलता को रोकने के लिए व्यादेश आवश्यक हों।

5. जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अनुसार विवादित आराजी खसरा सं. 304 ग्राम बडाबास तहसील बैजूपाड़ा का वादी का पिता जगराम पुत्र मांगू हिस्सा – पूर्ण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है तथा अप्रार्थी का इस आराजी में कोई हिस्सा रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। स्पष्ट है कि विवादित आराजी में वादी के खातेदारी अधिकार निहित हैं तथा इसलिए वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

6. दावा वादी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 डिक्री किया जाकर ग्राम बडाबास तहसील बैजूपाड़ा जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खाता सं. 87

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

के खसरा सं. 304 के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थायी व्यादेश जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा सं. 304 पर किसी भी प्रकार का पुख्ता निर्माण नहीं करेंगे, मौके की स्थिति को तब्दील नहीं करेंगे एवं वादी को बेदखल नहीं करेंगे। विवादित आराजी में किसी भी प्रकार का पुख्ता मकान व पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर वादी के आवागमन को बन्द नहीं करेंगे एवं विवादित भूमि की मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी • मण्डावर (दौसा) •

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 27.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)